बिल का सारांश

अप्रवासी भारतीय विवाह पंजीकरण बिल, 2019

- विदेशी मामलों की मंत्री सुषमा स्वराज ने 11 फरवरी 2019 को राज्यसभा में अप्रवासी भारतीय विवाह पंजीकरण बिल, 2019 पेश किया। बिल अप्रवासी भारतीयों (एनआरआईज़) के विवाह के पंजीकरण का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त बिल पासपोर्ट एक्ट, 1967 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन करता है।

- **विवाह का पंजीकरण**: बिल के अनुसार किसी भारतीय नागरिक से भारत में विवाह करने वाले प्रत्येक एनआरआई को विवाह की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण कराना होगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक एनआरआई जोकि किसी भारतीय नागरिक, या दूसरे एनआरआई के साथ भारत के बाहर विवाह करता है, उसे विवाह के तीस दिनों के भीतर विवाह अधिकारी से अपने विवाह को पंजीकृत कराना होगा। विदेश में राजनयिक अधिकारियों में से एक अधिकारी, विवाह अधिकारी चुना जाता है।

- **पासपोर्ट जब्त**: अगर भारतीय नागरिक या दूसरे एनआरआई से विवाह करने वाला एनआरआई तीस दिनों के भीतर विवाह को पंजीकृत नहीं कराता तो पासपोर्ट अथॉरिटी उसके पासपोर्ट को जब्त कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है।

- **सम्मन और वारंट जारी करना:** बिल में प्रावधान है कि जिन मामलों में अदालत सम्मन नहीं दे सकती, वहां वह विदेश मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट वेबसाइट पर अपलोड करके सम्मन जारी कर सकती है। जिस व्यक्ति के खिलाफ सम्मन जारी किया गया है, अगर वह अदालत के सामने हाजिर नहीं होता, तो अदालत निर्दिष्ट वेबसाइट पर अपलोड करके उसके खिलाफ वारंट जारी कर सकती है।

- इसके अतिरिक्त अगर वारंट जारी होने के बाद कोई व्यक्ति अदालत के सामने हाजिर नहीं होता तो अदालत उसे अपराधी घोषित कर सकती है और तत्काल प्रभाव से वेबसाइट पर अपलोड करके इस संबंध में घोषणा कर सकती है। वेबसाइट पर घोषणा के बाद अगर आरोपी हाजिर नहीं होता तो अदालत लिखित वक्तव्य जारी कर सकती है कि ऐसी घोषणा अपलोड की गई है। यह वक्तव्य इस बात का निश्चित प्रमाण होगा कि वारंट जारी कर दिया गया है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

विनायक कृष्णन
vinayak@prsindia.org

21 फरवरी, 2019